

कार्यालय आदेश सं. 59/17

रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या आर.बी.डी. सं०/131/2010 सं० ई (सी एम्ड ए) 1-2010 आर.टी. 2 दिनांक 11.09.2010 द्वारा प्रसारित 1800- ग्रेड पे वाले संरक्षण कोटियों हेतु निर्धारित लिबरिज्ड ऐक्टिव रिटायरमेंट फॉर गारमेंट इन्फ्लेइमेंट के अंतर्गत श्री राम कुमार, हेल्पर खलासी/सिग/मऊ अंतर्गत सीसेई/सिग/मऊ द्वारा अपने पुत्र श्री सत्येन्द्र कुमार चौहान को नियुक्ति एवं अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया था। मण्डल रेल प्रबन्धक (का.) वाराणसी की अधिसूचना सं०-का/लारजेस/बारहवां चक्र/जन/2017 दिनांक 27.04.17 के आधार पर श्री सत्येन्द्र कुमार चौहान को उन परीक्षा में सफल घोषित किये जाने के सापेक्ष श्री राम कुमार, हेल्पर खलासा/सिग/मऊ अंतर्गत सीसेई/सिग/मऊ को दिनांक 30.06.17 से सशर्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया जाता है तथा श्री राम कुमार के आश्रित पुत्र श्री सत्येन्द्र कुमार चौहान जो मेडिकल श्रेणी B-1 (मेडिकल प्रमाण पत्र सं०-002572/29, वमंचिधि/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी, दि. 19.06.2017) में सफल घोषित किये हैं, को वेतनमान 5200-20200+1800 ग्रेड पे (7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधनीय) हेल्पर खलासी के पद पर दि. 01.07.2017 से सीसेई/सिग/मऊ के अधीन मऊ जं.पर पदस्थापित किया जाता है।

ये ग्रुप डी में अस्थायी रेल कर्मचारियों पर लागू होनेवाले नियमों एवं दिनांक 01.01.2004 से लागू नई पेशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल होंगे। इन्हें वेतन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सेना के अनिवार्य युनिट में 07 वर्ष तथा प्रादेशिक सेना के आरक्षित वर्ग में 08 वर्ष अथवा समय-समय पर निर्धारित अवधियों के सैन्य सेवा में लगाये जाने के पात्र होंगे। इनके रेल सेवा में बने रहना संतोषजनक पुलिस साक्ष्यांकन एवं शैक्षणिक तथा जाति सत्यापन की रिपोर्ट पर आधारित होगा। इस संबंध में अगर कोई प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो इन्हें रेल सेवा से तत्काल हटा दिया जायेगा एवं इनके विरुद्ध तदनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त पर मसिदूइं/वाराणसी महोदय का आदेश प्राप्त है।



सत्येन्द्र कुमार चौहान	राम कुमार
हस्ताक्षर आश्रित पुत्र	हस्ताक्षर पिता

मण्डल सिगनेल प्रो. सिगरेट इज नय
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी।

मसिदूइं/वाराणसी
दि. 29.06.17

सं०-का/सिग/227/लारजेस स्कीम/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 वमसिदूइं, मसिदूइं, वमविप्र/वारा.
- 2 सीसेई/सिग/मऊ
- 3 मु० कार्याधी/समापक/बिल
- 4 संबंधित कर्मचारी
- 5 कार्यालय आदेश प्रति
- 6 मंडल मंत्री नरमू/अजा, अजजा एसो./वारा.
- 7 बीट निरीक्षक
- 8 अन्य प्रति



कृते मंरेप्र (का.)/वारा.